फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम फूलचन्द मीना**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/120/**2022 दायर दिनांक 11.04.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी फूलचन्द मीना पुत्र श्री मोहरपाल मीना, जाति मीना, निवासी कछावा टोडानागर, जिला अलवर राजस्थान जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन टाटा गुड्स केरियर रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 0471 अन्तर्गत धारा 5, 8, 9 आर.बी.एक्ट के तहत थाना रामगढ़ द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी रामगढ़ द्वारा निवेदन किया कि मुलजिम फूलचन्द पुत्र मोहरपाल जाति मीना, निवासी कछावा थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के खिलाफ जुर्म दफा 5, 6, 8 ,9 आर.बी.एक्ट का अपराध साबित पाया जाने पर मुलजिम फूलचन्द को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया है। टैम्पू चालक इसराईल पुत्र सुने खां, जाति मेव, निवासी पिनान थाना राजगढ़, जिला अलवर वक्त घटना से फरार है। मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन टाटा गुड्स केरियर रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 0471 को सुपुर्दगी पर छोडने में कोई आपत्ति नही है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से मुलजिम का अपराध मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी रामगढ़ प्रमाणित है। अतः जप्तशुदा वाहन टाटा गुड्स केरियर रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 0471 को 5,000/– (पांच हजार रूपये) के जुर्माने एवं जप्तशुदा वाहन टाटा गुड्स केरियर रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 0471 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र/– तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जुर्माने की राशि मद संख्या 0070–01–102–03–00–कार्यपालिका दण्डाधिकारी न्यायालय में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय को पेश करें। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 05.07.2022 को पेश हों। जिला कलक्टर अलवर	

05/02/22

पत्रावली पेश हुई [illegible] उप०
अनु० पीठासीन अधि[illegible] प्रार्थी ने [illegible]
करता है। पत्रावली [illegible] मुद्दईयान
दिनांक............को पेश हो।

18/02/22 रीडर

18/02/22

पत्रावली पेश हुई। वकील मुद्दईयान उप०। वकील मुद्दईयान द्वारा लिखित राशि के भुगतानशुदा चालान व भुगतान की रसीद पेश की गई। भुगतानशुदा राशि मुद्दईयान तस्दीक कर शीघ्र भिजवा दिये। पत्रावली मौका [illegible] S.H.O. [illegible] को वास्ते मुद्दईयान पर देने बाबत आवश्यक [illegible] इति पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)